7. जम्मू व कश्मीर	2	5
8. कर्नाटक	68	181
9. केरल	22	69
10. मध्य प्रदेश	7	12
11. महाराष्ट्र	241	962
12. मिजोरम	1	1
13. उड़ीसा	4	24
14. पंजाब	2	6
15. पाण्डिचेरी	1	2
16. राजस्थान	13	31
17. तमिलनाडु	45	87
18. उत्तर प्रदेश	11	24
19. पश्चिम बंगाल	11	18
कुल :	531	1733

विभिन्न राज्यों में प्राप्त विवरणियां

4365. **श्री राघवजी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर निर्धारण वर्ष 1994–95 और 1995–96 में देश के विभिन्न राज्यों में धारा 115–क के अंतर्गत कितनी विवरणियां प्रदेशवार प्राप्त हुई ; और

(ख) क्या इस योजना को आगामी वर्षों में भी जारी रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जैसाकि प्रश्न में उल्लिखित है शायद यह प्रसंग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा "115–ट" से संबंधित है न कि धारा "115–क" से क्योंकि परवर्ती धारा किसी भी विवरणी से संबंधित नहीं है । तदनुसार, अधिनियम की धारा 115–ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त सरलीकृत फार्मों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) ।

(ख) : जी, हां ।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1993–94 और 1994– 95 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115–ट के अन्तर्गत सरलीकृत फार्मों की संख्या

राज्य	धारा 115 ट के अंतर्गत प्राप्त सरलीकृत फार्मों की संख्या	
	वित्तीय वर्ष	
	1993–94*	1994–95** (अनन्तिम)
आंध्र प्रदेश	53,933	77,447
बिहार, उड़ीसा, असम, और उत्तर-पूर्वी राज्य	6,633	11,870
दिल्ली	10,971	7,954
गुजरात	6,996	9,237
कर्नाटक और गोवा	23,361	49,635

1	2	3
केरल	2,275	1,250
मध्य प्रदेश	3,580,	14,161
महाराष्ट्र	19,151	24,713
पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र	45,979	85,251
चण्डीगढ़		
राजस्थान	9,692	11,643
तमिलनाडु	4,593	4,956
उत्तर प्रदेश	5,264	20,370
प. बंगाल	3,172	6,097
योग	1,95,600	3,24,584

*कर-निर्धारण वर्ष 1994–95 **कर-निर्धारण वर्ष 1995–96

मध्य प्रदेश में रिफंड राशि के लंबित मामले

4366. **श्री राघवजी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले थे जिसमें उनके विभाग को एक लाख रुपये से अधिक का रिफंड जारी करना था किंतु इसे जारी नहीं किया गया ;

(ख) इनमें से ऐसे कितने मामले है जो एक वर्ष से भी अधिक अवधि से लंबित हैं ; और

(ग) रिफंड ज़ारी करने संबंधी मामलों में विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assistance Providad by UNDP

4367 DR. BAPU KALDATE.
SHRI G. Y. KRISHNAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of the projects for which UNDP financial assistance|aid in various forms, are made available to the entrepreneurs for setting up new projects utilising new technologies in various fields;

(b) whether such financial assistance| aid could be made available directly from UNDP or sponsored Financial Institutions with maximum/minimum financial ceiling, product-wise;

(c) what is the annual budget of UNDP financial assistance|aid for such projects for the country, project-wise; and

(d) whether the annual budget of UNDP for India for above projects has been fully utilised; if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?